

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- ग्वालियर जिले में वेस्टर्न बायपास के निर्माण हेतु 42.83 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPR 015/2022-BHO/ दिनांक 14.02.2023

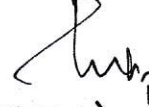
----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने
विषयांकित प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही
गई है।

आपके द्वारा चाही गई जानकारी वन मण्डल अधिकारी ग्वालियर ने अपने पत्र दिनांक
18.04.2023 एवं परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्वालियर ने अपने
पत्र दिनांक 03.04.2023 द्वारा बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की है, जो संलग्न कर अनुरोध है कि
प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(एच.एस. मोहन्ता)
19/10/23

भोपाल, दिनांक 19/10/2023

पृ. क्रमांक/एफ-5/1121/2022/10-11/4691
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
 3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल